

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बाणेश्वर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प: बाणेश्वर

-:आदेश:- 216/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रेणुका व भूअ.नि. रेणुका की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेणुका तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रेणुका तहसील बाणेश्वर जिला बाणेश्वर की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 55 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>रेणुका</u> <u>जितकाल</u>	<u>55</u>	<u>रेणुका</u> <u>मोडा</u>	<u>रेणुका</u> <u>मोडारान</u>

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
लोक अदालत
बाणेश्वर कैम्प
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर

क्रमांक :- 706-707

दिनांक :- 14/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेणुका को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रेणुका मोडारान को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
लोक अदालत
बाणेश्वर कैम्प
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर